मितानिन कल्याण कोष अंतर्गत योजनाओं की जानकारी

प्रदेश में मितानिन कार्यक्रम अंतर्गत सभी मितानिनों, मितानिन प्रशिक्षकों, हेल्पडेस्क मितानिनों, ब्लॉक समन्वयकों के लिए "मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष" अंतर्गत निम्न लिखित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है –

1. **शिक्षा हेतु प्रोत्साहन –** इस योजना के अंतर्गत मितानिन को कक्षा–8वीं उत्तीर्ण करने पर 2,000 रू., कक्षा–10वीं उत्तीर्ण करने पर 5,000 रू., कक्षा–12वीं एवं डिग्री उत्तीर्ण करने पर 10,000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

2. **75% शिक्षा हेतु प्रोत्साहन (10वीं तथा 12वीं कक्षा) –** कक्षा 10वीं अथवा 12वीं में 75% या 75% से अधिक नम्बर आने पर कक्षा 10वीं के लिए 25,000 रू. एवं कक्षा 12वीं के लिए 50,000 रू. की प्रोत्साहन राशि मितानिनों के बच्चों को दी जावेगी।

3. **मितानिन मातृत्व सहायता राशि –** इस योजना के अंतर्गत मितानिन को 23 जून 2023 के पश्चात् 25,000 रू. की मातृत्व सहायता राशि दी जावेगी। 23 जून 2023 के पुर्व होने वाले प्रकरणों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान यथावत् रहेगें।

4. **कन्या विवाह सहायता (विधवा एवं परित्यक्ता मितानिन) –** इस योजना के अंतर्गत विधवा एवं परित्यक्ता मितानिन को 23 जून 2023 के पश्चात् 50,000 की सहायता राशि दी जावेगी। विवाह के समय कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 23 जून 2023 के पुर्व होने वाले प्रकरणों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान यथावत् रहेगें।

5. **वृद्धावस्था सहायता –** मितानिनों की आयु 60 वर्ष पुरे होने पर 20,000 रू. की सहायता राशि दी जाती है। जिन मितानिनों का स्वावलंबन पेंशन योजना में नाम दर्ज है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

6. **मितानिन की मृत्यु उपरांत सहायता –** इस योजना के अंतर्गत परिवार को 20,000 रू सहायता राशि दी जाती है। मृत्यु के समय मितानिन की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। हत्या/आत्महत्या वाले प्रकरणों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

7. **मितानिन के पति की मृत्यु उपरांत सहायता –** इस योजना के अंतर्गत 23 जून 2023 के पश्चात् किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर 95,000 रू. की सहायता राशि दी जावेगी। मृत्यु के समय मितानिन के पति की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। हत्या/आत्महत्या वाले प्रकरणों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 23 जून 2023 के पुर्व होने वाले प्रकरणों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान यथावत् रहेगें।

8. मितानिनों को गंभीर बीमारियों हेतु आकस्मिक सहायता – इस योजना अंतर्गत मितानिन व परिवार के सदस्य माता–पिता, सास–ससूर एवं बच्चों में गंभीर बीमारी के ईलाज करवाने में मद्द की जाती है। बीमारी ईलाज शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क कराने का प्रयास किया जाता है।